



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-05042023-244964
CG-RJ-E-05042023-244964

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1569]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 5, 2023/चैत्र 15, 1945

No. 1569]

NEW DELHI, WEDNESDAY, ARPIL 5, 2023/CHAITRA 15, 1945

रेल मंत्रालय

(उत्तर पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

जयपुर, 5 अप्रैल, 2023

का.आ. 1648(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (7क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित उपखंडों, स्तम्भ (4) में उल्लिखित जिले के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य में नाथद्वारा - देवगढ़ मदारिया आमान परिवर्तन की विशेष रेल परियोजना के सन्दर्भ में ऐसी विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लोक परियोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए 'सक्षम प्राधिकारी' के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम सं.	सक्षम प्राधिकारी	उप खंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उप खंड अधिकारी, नाथद्वारा	नाथद्वारा	राजसमंद
2	उप खंड अधिकारी, राजसमंद	राजसमंद	राजसमंद
3	उप खंड अधिकारी, आमेट	आमेट	राजसमंद
4	उप खंड अधिकारी, देवगढ़	देवगढ़	राजसमंद

[फा. सं. उ.प.रे./मुख्यालय/सं.&नि./443599200 भाग-2]

वेद प्रकाश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(North Western Railway)****NOTIFICATION**

Jaipur, the 5th April, 2023

S.O. 1648(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the table below as ‘Competent Authority’ to perform the function as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Project of Nathdwara – Devgarh Madariya Gauge Conversion in the state of Rajasthan relating to the sub-divisions mentioned in column (3), district mentioned in column (4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

Sr. No.	Competent Authority	Sub Division	District
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sub Divisional Officer, Nathdwara	Nathdwara	Rajsamand
2	Sub Divisional Officer, Rajsamand	Rajsamand	Rajsamand
3	Sub Divisional Officer, Amet	Amet	Rajsamand
4	Sub Divisional Officer, Devgarh	Devgarh	Rajsamand

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol-2]

VED PRAKASH, Chief Administrative Officer (Construction)